न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 14/2022

प्रार्थी

रमेश कुमार घांची पुत्र सोमाजी, जाति–घांची, निवासी– कृष्णगंज, तहसील व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. तरुणा देवी पत्नी दिनेश कुमार, जाति– लुहार, निवासी– कृष्णगंज, तहसील–सिरोही
2. ग्राम पंचायत, कृष्णगंज जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत,कृष्णगंज, तह. व जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री फिरोज पठान, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(3) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्याः 1 (एक) तरुणा देवी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 25 जून, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी तरुणा देवी पत्नी दिनेश कुमार, निवासी–कृष्णगंज के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत क्षेत्रफल 2250 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 10–12–2019 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, कृष्णगंज से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) तरुणा देवी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) तरुणा देवी की ओर से जवाब मय दस्तावेजों के प्रस्तुत किया एवं अप्रार्थी संख्या–2 (ग्राम पंचायत, कृष्णगंज) की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश पुरोहित उपस्थित हुये व अप्रार्थी ग्राम पंचायत, कृष्णगंज की ओर से जवाब पेश किया। उसके बाद अप्रार्थी संख्या 2 (ग्राम पंचायत, कृष्णगंज) के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 17–6–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (तरुणा देवी) के हक में जो पट्टा संख्या 14 दिनांक 10–12–2019 को जारी किया है वह विधि विरुद्ध है। विवादित भुखण्ड पट्टा संख्या 14 तारीख 10–12–2019 को ग्राम पंचायत, कृष्णगंज ने अप्रार्थी तरुणा देवी को गलत एवं विधि विरूद्ध तरीके से रूपये लेकर जारी किया है जिससे पंचायत के राजस्व में नुकसान हुआ है तथा उक्त पट्टा जिस जगह का जारी किया है उस जगह पर अप्रार्थी तरुणा देवी का कभी भी कब्जा अधिपत्य नहीं रहा है। अप्रार्थी तरुणा देवी ने ग्राम पंचायत में एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अप्रार्थी तरुणा देवी ने विवादित भूखण्ड़ को पुश्तैनी एवं कब्जे शुदा भूखण्ड होना बताया है जो केवल मात्र पंचायत की खानापूर्ति है। ग्राम पंचायत, कृष्णगंज के पूर्व सरपंच छोगाराम, वर्तमान सरपंच सरूदेवी, सरपंच पति हिदाराम देवासी व पूर्व ग्राम विकास अधिकारी चन्दुलाल ने ग्राम पंचायत कृष्णगंज की आबादी क्षेत्र में बेशकिमती भूखण्ड क्रम संख्या 1 से 15 तक बुक संख्या 37 में व्यापक भ्रष्टाचार करते हुए लाखों रूपये

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

में बेच दिये है। इन भूखण्डो के पुराने कब्जे बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर नियमों को ताक में रखकर उक्त पट्टे जारी करने व भूखण्ड संख्या 14 जो कि सरकारी सम्पत्ति है उसका बेचान ग्राम पंचायत, कृष्णगंज के सरपंच व सचिव ने राशि रुपये दस लाख में किया है। पट्टा संख्या 14 जो कि अप्रार्थी तरुणा देवी के पुराने कब्जे भोगवटे का बताकर जारी किया गया है, लेकिन पुरानी रजिस्ट्रीयो में कई पर भी चतुदर्शी में कब्जे धारक का नाम, विवरण इत्यादि कुछ भी दिया हुआ नहीं है, केवल मात्र पडत भूमि लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत, कृष्णगंज ने नियम व कानून को ताक में रखकर विधि विरूद्ध तरीके से प्रस्ताव फर्जी तैयार कर पट्टा जारी किया हैं। विवादित पट्टे की भूमि बेशकिमती है जिससे पंचायत को राजस्व की हानि हुई है। उक्त पट्टा संख्या 14 वाले भूखण्ड प्रार्थी के मालकी स्वामित्व एवं कब्जे का है जिस पर प्रार्थी का 25—30 वर्षो से अपना कब्जा आधिपत्य किये हुए है। पास में ही प्रार्थी के खरीद शुदा भूखण्ड मय मकान आया हुआ है। जो पट्टा संख्या 14 की चतुदर्शी से पता लगता है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड़ का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत, कृष्णगंज में कई बार प्रार्थना पत्र दिये व प्रार्थी उक्त भूखण्ड को डी.एल.सी की दर पर भी खरीदने के लिए तैयार था लेकिन ग्राम पंचायत, कृष्णगंज ने अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए नियमो के विरूद्ध जाकर उक्त पट्टा अप्रार्थी तरुणा देवी के हक में पट्टा जारी किया है, जबकि अप्रार्थी तरुणा देवी का पट्टा संख्या 14 वाले भूखण्ड पर कभी भी कब्जा अधिपत्य और निवास नहीं रहा है। अप्रार्थी तरुणा देवी ने प्रार्थी के वैध स्वामित्व व कब्जे की भूमि को हडपने की बदनियती से गलत तथ्य बताते हुए पट्टा 14 दिनांक 10—12—2019 प्राप्त किया है। अप्रार्थी तरुणा देवी का विवादित भूखण्ड़ पर 40 वर्षो से कब्जा होने का कथन किया है, जबकि अप्रार्थी तरुणा देवी की आयु उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार 23 वर्ष है, ऐसी स्थिति में कब्जे का तथ्य उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से ही गलत व निराधार सिद्ध होता है। ग्राम पंचायत, कृष्णगंज ने भी मौके व रेकर्ड का भौतिक सत्यापन किये बिना विधि व नियमों के तहत प्रक्रिया अपनाए बिना ही पट्टा जारी किया गया है, जिसमें आपत्ति नोटिस भी नही निकाला है व न ही प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया है, केवल मात्र छपे छपाये प्रपत्रों में खाना पूर्ति कर अप्रार्थी तरुणा देवी के पक्ष में पट्टा संख्या 14 जारी किया हैं। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी तरुणा देवी के हक में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 10—12—2019 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या—1 (तरुणा देवी) के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी तरुणा देवी के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम कृष्णगंज में अप्रार्थी तरुणा देवी का पुराना कब्जा व कच्चा केलुपोश का मकान होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार विहित प्रक्रिया का पालन कर पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में यह स्पष्ट नही किया है कि अप्रार्थी तरुणा देवी के पक्ष में जारी पट्टा किस प्रकार विधि व नियमों के विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा जिस जगह का पट्टा जारी किया है उस पर अप्रार्थी तरुणा देवी व उसके परिवार का वर्षो पुराना कब्जा हक अधिकार है। अप्रार्थी तरुणा देवी द्वारा उक्त पुराने कब्जेशुदा भूखण्ड़ मय केलूपोश आवास का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत, कृष्णगंज में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों के आज्ञापक प्रावधानों व प्रक्रिया की पूर्ण रुप से पालना करते हुए बाद जांच कब्जे भोगवटे व केलूपोश मकान होने से अप्रार्थी तरुणा देवी को नियम 157(2) के तहत महिला मुखिया के नाम से नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में पूर्व सरपंच व वर्तमान सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को बलेकमेल करने के उद्देश्य से आधारहीन व मिथ्या आरोप लगाये गये है, जबकि जिस समय अप्रार्थी तरुणा देवी को पट्टा जारी किया उस समय वर्तमान सरपंच सरुदेवी व उसके पति

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * राजस्थान

हिदाराम पंचायत के सदस्य ही नही थे, उसके बावजूद भी प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में अवैध राशि लेकर पट्टा जारी करने का मिथ्या कथन अंकित किया है। जबकि अप्रार्थी तरुणा देवी से पंचायत पदाधिकारियों ने किसी प्रकार से कोई अवैध राशि न तो मांगी है व नही दी है। पुरानी रजिस्ट्री में चतुदर्शी में कब्जे धारक का नाम, विवरण नही है व केवल पडत भूमि लिखा होने का कथन गलत है, जबकि हकीकत यह है कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार मौका निरीक्षण किया गया था एवं अप्रार्थी तरुणा देवी के दस्तावेजों से उसके ससुर, पति व अप्रार्थी तरुणा देवी का पुराना कब्जा व हक अधिकार साबित होने से बाद जांच नियमुनसार परिवार की महिला मुखिया अप्रार्थी तरुणा देवी के पक्ष में नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया है, जिसमें कोई अनियमितता और अवैधता नही हुई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत वर्ष 2003 से पूर्व के कब्जों और अस्थाई कच्चे/पक्के आवासों का परिवार की महिला मुखिया के नाम से ही पट्टा जारी करने का प्रावधान है। ऐसे पुराने कब्जेशुदा भूखण्ड़ों व कच्चे/पक्के आवासीय कब्जे की भूखण्ड़ों की कानूनन नीलामी नही की जा सकती है। जिस समय अप्रार्थी तरुणा देवी के हक में पट्टा जारी कया गया उस समय अप्रार्थी तरुणा देवी के परिवार का कब्जा आधिपत्य था व उस पर कच्चा केलूपोश मकान था तथा जिसका ग्राम पंचायत द्वारा बाद जांच नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में उक्त प्रश्नगत भूखण्ड़ उसका पुराना कब्जा होने व प्रार्थी के वैध स्वामित्व व कब्जे की भूमि को हडपने की नियत से पट्टा जारी करने का कथन किया है। वही निगरानी आवेदन में प्रार्थी ने प्रश्नगत भूखण्ड़ को पडत भूमि होने का कथन किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी निगरानीकार को मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति की जानकारी नही है एवं प्रार्थी ने विरोधाभाषी कथन अंकित कर मनगंढत कथनों के आधार पर निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। जबकि उक्त प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि से प्रार्थी का कोई लेना देना नही है एवं न ही इस पर प्रार्थी निगरानीकार का का कभी भी कब्जा नही रहा है तथा न ही प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड़ का पट्टा बनवाने व खरीदने हेतु पंचायत में कभी भी आवेदन प्रस्तुत नही किया है तथा न ही अप्रार्थी तरुणा देवी के पक्ष में पट्टा जारी करने की कार्यवाही के दौरान ग्राम पंचायत में प्रार्थी ने आपत्ति दर्ज करवाई है। जिस समय अप्रार्थी तरुणा देवी को पट्टा जारी किया गया था उस समय अप्रार्थी तरुणा देवी के परिवार का कब्जा अधिपत्य था एवं उस पर कच्चा केलुपोश मकान बना हुआ था परन्तु अप्रार्थी तरुणा देवी के पति का व्यापार सूरत में होने के कारण अप्रार्थी तरुणा देवी व उसका परिवार रोजी रोटी के लिए सुरत (गुजरात) में निवास करने के कारण अपने कच्चे केलुपोश मकान की सही रूप से सार संभाल नही करने व मकान काफी पुराना तथा कच्चा बना होने से जर्जर हो जाने के कारण उक्त केलुपोश मकान वर्ष 2019—20 की बारिश की सीजन में गिर गया लेकिन इसके उसके अवशेष मकान के गिरने के बाद भी भूखण्ड़ पर मौजूद हैं बावजूद इसके प्रार्थी व उसके भाईयो द्वारा अप्रार्थी तरुणा देवी के भूखण्ड को हडप करने के लिए उस पर मौजूद केलुपोश मकान के अवशेष हटाकर चोरी चुपके साफ सफाई करवाने की कोशिश करने पर अप्रार्थी तरुणा देवी ने प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध दिनांक 07—9—2021 को एक वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा हेतु सिविल न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत किया, जो वर्तमान में सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त वाद के नोटिस प्राप्त होने के लगभग 01 साल बाद प्रार्थी ने गलत कथनों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। जबकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी तरुणा देवी को जारी पट्टे के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 7/2022 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.सं. में पुलिस थाना अनादरा में दर्ज करवाई थी, जिसमें बाद अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी द्वारा नतीजा अदम वकू झूठ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, पुलिस

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जांच से भी पूर्णतया साबित है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीया को जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है उस पर अप्रार्थी तरुणा देवी के ससुर छोगाराम व उसके परिवार का ही कब्जा रहा है तथा उस भूखण्ड के दक्षिण में प्रार्थी का भूखण्ड स्थित है जिसका उल्लेख अप्रार्थी तरुणा देवी को जारी पट्टे की चतुदर्शी में भी किया हुआ है। यह कि विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी तरुणा देवी का 40 वर्ष से अधिक समय से कब्जा है तथा अप्रार्थी तरुणा देवी, अपने परिवार में महिला मुखिया होने से इसके द्वारा दिनांक 03—7—2019 को ग्राम पंचायत में नियम 157 के तहत् पुराने गृह का विनियमितिकरण करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 10—12—2019 को पट्टा संख्या 14 जारी किया गया, हालांकि नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा जारी करने के लिए उस भूखण्ड पर वर्ष 2016 से पूर्व का कब्जा होना ही आवश्यक है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों में विहित सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया का पालन कर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से ही है परन्तु प्रार्थी व अन्य व्यक्ति अता मोहम्मद ने मिलकर जानबूझकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 व 14 को निरस्त करने के लिए मिथ्या व मनगन्ढत कथनों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी तरुणा देवी पत्नी दिनेश कुमार, निवासी— कृष्णगंज के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत क्षेत्रफल 2250 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 14 दिनांक 10—12—2019 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत, ''ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नही है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी—झौपडी/कच्चे—गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होगे। ऐसी भूमि का पट्टा, ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।''

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी तरुणा देवी पत्नी दिनेश कुमार लुहार, निवासी— कृष्णगंज के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया है, उस भूमि पर प्रार्थी निगरानीकार का कब्जा रहा हो। प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी तरुणा देवी का झुग्गी—झौपडी/कच्चे—गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा नही रहा हो। प्रार्थी निगरानीकार ने ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी तरुणा देवी के पक्ष में कब्जे रहित पडत भूमि का पट्टा जारी किया गया हो। प्रार्थी निगरानीकार ने ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी तरुणा देवी व उसके पति के पास प्रश्नगत पट्टेशुदा भूखण्ड़ के अलावा अन्य कोई आवासीय गृह अथवा भूखण्ड़ पूर्व से ही उपलब्ध हो। जबकि अप्रार्थी तरुणा देवी की ओर से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड़ पर पुराना कब्जा होने के संबंध में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा छोगाराम पुत्र भीखा जी लुहार, गांव कृष्णगंज को जारी विद्युत बिल दिनांक 03—5—2010, 07—11—2012 व 10—7—2006 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अप्रार्थी तरुणा देवी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि श्रीमती तरुणा देवी पत्नी दिनेश कुमार, जाति— लोहार, निवासी—

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय *सिरोही*

कृष्णगंज द्वारा माननीय सिविल न्यायालय, सिरोही में प्रतिवादी चौथाराम पुत्र धरमा जी, जाति–घांची, राजूराम पुत्र मंछाजी, जाति– घांची व रमेश कुमार पुत्र सोमाजी, जाति–घांची, निवासी– कृष्णगंज के विरुद्ध एक वाद वास्ते प्राप्त करने स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है, जिसके वाद संख्या 38/2021 है, जो अप्रार्थी तरुणा देवी के कथनानुसार माननीय सिविल न्यायालय, सिरोही में विचाराधीन है। अप्रार्थी तरुणा देवी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी रमेश कुमार ने ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा अप्रार्थी तरुणा देवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 10–12–2019 से संबंधित भूमि के संबंध में पूर्व सरंपच श्री छोगाराम के विरुद्ध पुलिस थाना, अनादरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट 0027 दिनांक 11–2–2022 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बाद अनुसंधान, अन्तिम रिपोर्ट नतीजा अदम वकू (झूठ) न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, इस अन्तिम रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि परिवादी के रजिस्ट्रीशुदा भूखण्ड का ग्राम पंचायत में कोई इन्द्राज नही है तथा परिवादी के रजिस्ट्री में उत्तर में छोगाराम का थाला व दक्षिण दिशा में पडत भूमि बताई हैं। पुलिस थाना, अनादरा द्वारा अन्तिम रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि चतुर्दशी के आधार पर परिवादी के दक्षिण में अशोककुमार का भूखण्ड़ तथा परिवादी के 60x75 भूमि का नाप करने से मौके पर पुरी है। इस प्रकार, पुलिस थाना, अनादरा की उक्त अन्तिम रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थी रमेश कुमार के रजिस्ट्रीशुदा भूखण्ड़ के उत्तर दिशा में अप्रार्थी तरुणा देवी के ससुर छोगाराम का कब्जेशुदा भूखण्ड़ है, जिसका अप्रार्थी तरुणा देवी को ग्राम पंचायत, कृष्णगंज द्वारा पट्टा जारी किया गया है एवं अप्रार्थी तरुणा देवी के इस पट्टेशुदा भूखण्ड़ के दक्षिण में प्रार्थी का भूखण्ड स्थित है जो अप्रार्थी तरुणा देवी को जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 10–12–2019 में अंकित चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में घांचियों का रजिस्ट्रीयां शुदा भूखण्ड़ दर्शाया हुआ है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रमेश कुमार द्वारा निगरानी आवेदन में प्रश्नगत भूखण्ड़ के पास प्रार्थी का खरीदशुदा भूखण्ड़ मय मकान होने का कथन किया है, लेकिन प्रार्थी ने उसके खरीदशुदा भूखण्ड़ के पट्टे व पंजीकृत विक्रय विलेख की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत नही है।

चूंकि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने का दायित्व प्रार्थी निगरानीकार का है, लेकिन प्रार्थी निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अन्र्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय *सिरोही* सत्यमेव जयते